

23.8.2024, वकुलाए फर्टिलिज उपाधिपत/ प्रतिकी स०। के  
विश्वत. रजि० सम्मत तामिल होने के बावजूद  
उपाधिपत नहीं। वस लिए प्रतिकी सह.। की  
खिलाफ कार्यवाही एक तरफा उमलमे लगी  
गयी है। पत्रावली करते वेटे एवाक करके  
तारीख 29.08.2024 को फेरा हो।

29.8.2024

कुलाए उपाधिपत/ प्रतिकी स०। के  
पत्रावली, ए। पत्रावली, प्रतिकी स०। के  
तारीख 29.08.2024 को फेरा हो।

05.9.2024 वकुलाए फर्टिलिज उपाधिपत/ सरेए एवाक प्राह उका  
साहय में वापस का फेरा किया कोट साहय नहीं  
करवाना - करते। पत्रावली करते वएक करके अक्षय कुमार  
तारीख 09.09.2024 को फेरा हो।

09.09.2024 वकुलाए फर्टिलिज उपाधिपत। वस सुनी गई।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर डिपलम  
सिद्धि व साहय धारि व साहय पर वाफ बागिग  
विकी किया जाता है पूर्व विवण सहित निर्णय अका  
से लिखाया जाकर शामिल फाइल किया जावे।  
पत्रावली नकर ए वस की जाक तामिल रहते हो।



डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 121/2023 अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट

1. अनिता पुत्री इन्द्राज नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सुमन पत्नी इन्द्राज जाति जाट साकिन खेदासरी जिला हनुमानगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
2. अक्षय कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन खेदासरी जिला हनुमानगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

-वादीगण

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील-वादीगण  
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 1

निर्णय दिनांक- 09.9.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त वकील वादीगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 2 के.डी.एम. के प0 न0 9/41 (81) के किला न0 6/1, 6/2, 7, 15/1, 15/2, 19, 20/2, 21/1, 22, ता 24 की 2.227 है0 मे प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 356/6681 हिस्सा व चक 5 के.एच.डी. के प0 न0 229/23 (59) के किला न0 22, 23 की 0.506 है0 भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा व चक 6 एस.पी.डी.बी. के प0 न0 109/386 (10) के किला न0 1/1 की 0.228 है0 2 ता 4 की 0.759 है0 5/1 की 0.228 है0 5/2 की 0.025 है0 खाला 6/1 की 0.228 है0 6/2 की 0.025 है0 खाला 7 ता 9 की 0.759 है0 13 की 0.253 है0 कुल 2.505 है0 भूमि मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2067/16700 हिस्सा भूमि के वादीगण को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.9.2024 को जारी की गई।

09.9  
(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर